

NCRPS No. 5609/2019

सं: 797-ई/पालिसी/2019/ APAR

दिनांक: .06.2019

अपर महाप्रबंधक/उ.म.रे./इलाहाबाद। समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/उमरे/इलाहाबाद। वरि.उप महाप्रबंधक/उ.म.रे./इलाहाबाद। उप महाप्रबंधक/सा./उ.म.रे./इलाहाबाद। मु.प्रशा.अधि/निर्माण/उ.म.रे./इलाहाबाद। चेयरमैन/आर.आर.सी./उ.म.रे./इलाहाबाद। उप मु.का.अधि./राज/आई.टी./मुख्या/उ.म.रे./इलाहाबाद। वरि.का.अधि./राज/आई.आर./मुख्या./उ.म.रे./इलाहाबाद। मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक/उ.म.रे./इलाहाबाद, आगरा एवं झॉंसी। मुख्य कारखाना प्रबंधक/उ.म.रे./वैगन रिपेयर शाप, झॉंसी। मुख्य कारखाना प्रबंधक/उ.म.रे./रेल स्प्रिंग कारखाना, सिधौली (ग्वालियर)। उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/उ.म.रे./ झॉंसी। उप मु.अभि/ सीपीओएच/ उ.म.रे./इलाहाबाद। उप मु.अभि./सीएसपी/उ.म.रे./इलाहाबाद। प्रधानाचार्य-सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर/उ.म.रे./झॉंसी। प्रधानाचार्य-सिविल ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे/कानपुर। प्रधानाचार्य-इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, उमरे/इलाहाबाद। प्रधानाचार्य -एरिया ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे/झॉंसी। प्रधानाचार्य -बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको/ उमरे/झॉंसी। प्रधानाचार्य - बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/उमरे/ झॉंसी। प्रधानाचार्य-बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशाप/उमरे/झॉंसी। प्रधानाचार्य-सी एण्ड डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे /कानपुर। प्रधानाचार्य- परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर/उमरे/झॉंसी। प्रधानाचार्य-ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगज/उमरे/इलाहाबाद। प्रधानाचार्य - इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झॉंसी। प्रधानाचार्य- इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर। मु. प्र. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली। उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./ झॉंसी एवं आगरा। उप मुख्य इंजी /टी.एम.सी./लाईन/झॉंसी। व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।


Sub: Introduction of provision for writing of APAR of APAR of Railway employees working in PB-I, Grade pay of Rs. 1900/- Level-2-clarification regarding.

Ref: Railway Board's Letter No. E(NG)I-2019/CR/3 Dated 21.05.2019.

उपरोक्त संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)I-2019/CR/3 दिनांक 21.05.2019 (RBE- 83/2019)की प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Policy letters Circulated under NCRPs may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in (About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

संलग्नक- यथोक्त।


(V.P.Singh)
SPO/HQ

For General Manager/P

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/कैंडर/अराज एवं राज/उमरे/इलाहाबाद।
2. कार्यालय अधीक्षक/यूनियन सेल/उमरे/इलाहाबाद।
3. कार्यालय अधीक्षक/गोपनीय अनुभाग/उमरे/इलाहाबाद।
4. महामंत्री, एन सी आर ई एस/उमरे/इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर एम यू/उमरे/इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए/उमरे/इलाहाबाद।
7. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसियेशन/उमरे/इलाहाबाद।
8. महामंत्री ओबीसी एशोसियेशन/उमरे/इलाहाबाद।

PCPO
23
24/5/19

RBL-2019-1127

27-5-19

C961

RBE No.83/2019

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2019/CR/3

New Delhi dated 24/05/2019

NCR

The General Managers(P)
All Zonal Railways &
Production Units etc.,
(As per standard list).

Sub:- Introduction of provision for writing of APAR of Railway employees working in PB-I, Grade Pay of Rs.1900/- Level-2 – clarification regarding.

Reference is invited to Board's letter No. E(NG)I-2013/CR/1 dated 30.12.2014, issued as RBE No. 148/2014) on the subject referred to above. It has been pointed out that provision of "Reviewing Authority" in the proforma attached to the Board's letter ibid was not made.

Considering the above, the matter has been reviewed. It is advised that a new entry i.e. Reviewing Authority may be introduced at the bottom of the APAR format for GP Rs. 1900/- Level-2 after the Reporting Officer entry, in the said proforma attached with the letter ibid. issued vide Board's letter dated 30.12.2014 quoted above.

(This disposes off DLMW's letter No. 400 E/P/DMW/Confdl. dated 11.02.2019).

Please acknowledge receipt.


(M.K. Meena)

Deputy Director Estt. (N)
Railway Board

प्र० मुकाधि०	✓
मुकाधि० (प्रशा०)	✓
मुकाधि० (आई० आर०)	
उप मुकाधि० (राज०)	
उप मुकाधि० (मुख्या०)	✓
उप मुकाधि० (आई० आर०)	
अध्यक्ष/रि०म०प्र०	
प्र० का० अधि० (राज०)	
प्र० का० अधि० (आई० आर०)	
प्र०का० अधि० (मुख्या०)	✓
सकाधि० (आई० आर०)	
सकाधि० (मर्तो०)	
मु० का० अधि० (राज०)	


27/5/19


28/05/19

R
AM
17/6/19



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)।-2019/सीआर/3

नई दिल्ली, दिनांक 21.05.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- लेवल-2, ग्रेड पे 1900/-, पीबी-। में कार्यरत रेल कर्मचारियों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) लिखने के लिए प्रावधान आरंभ किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

आपका ध्यान उपर्युक्त उल्लिखित विषय पर बोर्ड के दिनांक 30.12.2014 के पत्र सं. ई(एनजी)।-2013/सीआर/1 (आरबीई सं. 148/2014 के रूप में जारी) की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि बोर्ड के उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में "समीक्षा प्राधिकारी" का प्रावधान नहीं किया गया था।

उपर्युक्त पर विचार करते हुए इस मामले की समीक्षा की गई है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 30.12.2014 के ऊपर उल्लिखित पत्र के तहत जारी उक्त पत्र के साथ संलग्न उल्लिखित प्रोफार्मा में रिपोर्टिंग अधिकारी की प्रविष्टि के पश्चात् लेवल-2, ग्रेड पे 1900/- रुपए के लिए एपीएआर फार्मेट के नीचे समीक्षा प्राधिकारी की नई प्रविष्टि शामिल की जाए।

(इससे डीएलएमडब्ल्यू के दिनांक 11.02.2019 के पत्र सं. 400 ई/पी/डीएलएमडब्ल्यू/कॉन्फिडे. का निपटान हो जाता है)।

कृपया पावती दें।



(एम. के. मीना)

उप निदेशक स्थापना (एन)

रेलवे बोर्ड